न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–86/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00065)

1. प्रहलाद दत्तक पुत्र मांगू, जाति मीना, निवासी ग्राम चितौड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. दाखा देवी पुत्री स्व. श्री मांगू पत्नी श्री दुर्गालाल, जाति मीना निवासी ग्राम चितौड़ा तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी बीची, तहसील फागी जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
   - 1/1. दामोदर पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/2. रामजीलाल पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/3. सीताराम पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/4. रतनलाल पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/5. मन्ना पुत्री श्री दुर्गालाल,
   - 1/6. संतारा पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/7. रजनी पुत्री श्री दुर्गालाल,
   - 1/8. राजा पुत्र श्री दुर्गालाल,
   - 1/9. रामप्यारी पुत्री श्री दुर्गालाल, समस्त जाति मीना निवासीयान झराना (मीनों की ढाणी, तहसील फागी जिला जयपुर)
2. मोहरी देवी पत्नी स्व. श्री मांगू जाति मीना, निवासी ग्राम चितौड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. मूली देवी पत्नी स्व0 श्री मांगू, जाति अहीर निवासी भोज्यावाड़ तहसील चाकसू जिला जयपुर।
4. घासी पुत्र भौंरीलाल, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र चौथमल, जाति मीना निवासी ग्राम नांगल्या भटजी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.04.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2014 को इस आशय को प्रस्तुत किया कि श्री मांगू की मृत्यु दिनांक 23.02.1990 व माता श्रीमती नानगी देवी की मृत्यु अपीलार्थी के पिता की मृत्यु

P.T.O.

से पूर्व ही दिनांक 08.03.1986 को हो गई है तथा अपीलार्थी के पिता श्री मांगू पत्रु श्री नाराया जाति मीना निवासी चितौड़ा के नाम खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1931 रकबा 6.86 हैक्टयर जो कि ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू में स्थित है जिसका अपीलाथी के पिता एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा स्व. श्री मांगू के जायन्दा दो ही पुत्रिया है तथा पुत्र नही होने के कारण स्व. श्री मांगू ने अपने भाई श्री रामचन्द्र के लड़के प्रहलाद को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया है तथा स्व. श्री मांगू और नानगी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण व स्व. मांगू की दोनों पुत्रियों को नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में खोले जाने पर आपत्ति नही होने के कारण अपीलार्थी अपने नाम विरासत का नामान्तरकण खोले जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी संख्या 6 के यहॉ पर दिनांक 07.03.2014 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार फागी से जॉच रिपोर्ट मंगवाने हेतु पत्र जारी किया क्योंकि स्व. श्री मांगू का पैतृक गांव चितौड़ा है जो कि तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है के कारण तहसीलदार फागी से रिपोर्ट मंगवाई गई। उन्होने आगे कथन किया है" कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ने बाद जॉच व पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 02.09.2014 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात व बेखिलाफ कानून अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने स्व. श्री मांगू मीना के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत चितौड़ा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत सजरा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और दिनांक 05.03.2014 को सरपंच ग्राम पंचातय चितौडा द्वारा अपीलार्थी को एक सजरा खानदान श्री मांगू मीना के सम्बन्ध में जारी किया जिसे देखने से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी स्व श्री मांगू के दत्तक पुत्र है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गये उक्त सजरा को नही मानने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित नही किया है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी स्व. श्री मांगू मीना ने अपीलार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में गोद सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार गोद लिया था तथा स्व. श्री मांगू मीना के क्रियाक्रम व अन्य सामाजिक दायित्व अपीलार्थी द्वारा ही किये गये है व प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जो कि स्व. श्री मांगू मीना की जायन्दा पुत्रियॉ है ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है कि अपीलार्थी स्व. श्री मांगू मीना का दत्तक पुत्र है जब स्व. श्री मांगी मीना की जायन्दा पुत्रियों द्वारा इस प्रकार के कथन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये गये है तो ऐसी स्थित में स्व. श्री मांगू मीना के दत्तक पुत्र अपीलार्थी होने के सम्बन्ध को कोई विरोधाभाष नही था किन्तु ऐसे महत्वपूर्ण एवं सक्षम साक्ष्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदशे पारित किया है जो कि पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से निरस्तत किये जाने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 घासी पुत्र श्री भौंरीलाल जाति बागड़ा को बेचान जरिये विक्रय पत्र खरीद करना बतलाया है लेकिन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जॉच कर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के अलावा स्व. मांगू मीना का कोई विधिक वारिसान नही है तथा स्व. श्री मांगू मीना की जायन्दा पुत्रीयों की पूर्ण सहमति है। ऐसे में अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण नही खोले जाने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पूर्णतः नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही थी तथा अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2014 की जानकारी करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को जानकारी हुई कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2014 को ही खारिज फरमा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 07.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 02.09.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिये आवेदन किया तथा अपीलार्थी को दिनांक 21.07.2015 को आदेश दिनांक 02.09.2014 की प्रतिलिपी प्राप्त हुई जिसे प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील में अंकित तथ्यो के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 व 02.02.2016 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी के पक्ष में विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण खोला जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कालूराम पुत्र पुराराम मीना था तथा कालूराम पुत्र पुराराम मीना से दिनांक 31.01.1974 को विक्रय पत्र के आधार पर मांगू पुत्र नारायण अहीर ने आराजी को क्रय किया जिसके सम्बन्ध में कालूराम के वारिसान द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1974 को सिविल न्यायालय क्रम संख्या 34 चाकसू में चुनौती दिये जाने पर विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2016 को निरस्त किया जा चुका है तथा निर्णय दिनांक 28.03.2016 की अपील अपर जिला न्यायाधीय क्रम संख्या 19 जयपुर की समक्ष पेश की गई जो निर्णय दिनांक 19.11.2018 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1974 के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहॉ प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 12.10.2017 को खारिज कर दी गई एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध तहसीलदार चाकसू द्वारा अपील राजस्व अपील प्रधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 56/2019 निर्णय दिनांक 13.08.2019 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। उन्होने आगे कथन किया है कि मूल खातेदार कालूराम के वारिसान द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहॉ दावा 307/2017 रामचन्द्र बनाम मूलीदेवी प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 21.03.2017 को डिक्री कर दिया गया उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध प्रहलाद मीना द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 181/2018 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 24.06.2019 को खारिज की जा चुकी है तथा अपीलान्ट प्रहलाद द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध निगरानी संख्या 2981/2019 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहॉ पेश की गई जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 01.02.2021 के द्वारा खारिज कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को मद्देजर अपर न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का किसी प्रकार का सरोकार सम्बन्ध नही माना गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को वाद्रग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उज्रात करने का अधिकार नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवकता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष दावा संख्या 307/2015 उनवान रामचन्द्र बनाम मूलीदेवी के निर्णय दिनांक 21.03.2017 द्वारा वादीगण रामचन्द्र, ग्यारसीलाल व पॉचूराम को खातेदार कालूराम के विधिक वारिस मानते हुए दावा डिक्री किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 24.06.2019 द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में प्रभावित पक्षकार ना मानते हुए खारिज किया गया है तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी करने पर अपीलान्ट की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निगरानी भी आदेश दिनांक 01.02.2021 के माध्यम से सारहीन होने से खारिज की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की फिस्कल प्रोसिडिंग में अपीलान्ट को किसी प्रकार के हक हकूक प्राप्त नही हो सकते। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।